

फर्द अहकाम

न्यायालय ————— कुपारामगढ़ अधिकारी जमवारामगढ़  
 बनाम ————— सिद्धरामपुर  
 मुकदमा संख्या/वर्ष : 147 / 2018

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
--------	---------------------------	----------------------

24/6/22 पत्रावली आज प्रसारण गांवों के संग अभियान 2021 के माध्यम से पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली के अनुसार दिनांक 29/9/22 को पेश हो।

शिविर प्रभारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जमवारामगढ़ (जयपुर)

29/9/22 पत्रावली पेश की। नकील वादी अर्थात् पत्रावली का प्रत्येक किताब नकील वादी ने तलबी देकर आया है। मादरेसों की पत्रावली आदि नहीं की। अतः मादरेसों की पत्रावली नहीं करने के कारण पत्रावली को दावे के अधिकार सुरक्षित रखते हुए मादरेसों 9 निपल 5 पर के तहत खोपड़ि किप्ट पाता है। पत्रावली केवल शुभारंभ होकर वापस लेने का है। बाद प्रति होकर फर्द दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी  
 जमवारामगढ़

र  
 र  
 त  
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10  
 11  
 जी  
 त  
 वि  
 वार  
 रोव  
 गा